उत्तर मध्य रेलवे के सा. एवं स. नि. की संशोधन पर्ची सं. - 63 दिनांक 22.05.2020 का राजभाषा में अनुवाद

(संदर्भ: 1. भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं.-144, दिनांक-13.03.2020, मद सं.-1 एवं 2 के लिए |
2. वरि.मं.परि.प्रबं/आगरा का पत्र सं.- आगरा/आपरेटिंग/वाईपीसी/ट्रैफिक/मिस./01/17-18, दि.-11.10.2017, मद सं.-3 के लिए |
3. रेल संरक्षा आयुक्त का पत्र सं.- 600/लेविल क्रासिंग/इला./पार्ट-34/एसएएनसी-236 दिनांक-12.02.2020,मद सं.- 4 के लिए |)

1. वर्तमान सा.नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 63)

   सा.नि. 1.01(1) - इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण संशोधन नियम, 2020 है।

2. वर्तमान सा.नि. 4.10/(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 63)

   सा.नि. 4.10/(1) - गैर-अंतर्पाशित (नान-इंटरलॉक्ड) सम्मुख कांटों पर गाड़ियों की गति किसी भी दशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी और टर्नआउट तथा क्रासओवर्स पर भी गति उसकी अनुमेय गति या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी जब तक कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्धारण करके इससे अधिक गति की अनुमति नहीं दी जाती ।

3. वर्तमान स.नि. 4.11/1(क) (i), (ii) और (ग) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 63)

   स.नि. 4.11/1(क) - बड़ी लाइन खण्डों में कांटों (प्वाइंट्स) पर गाड़ी की गति निम्नलिखित गति से अधिक नहीं होनी चाहिए -

   (i) नान-इंटरलॉक्ड प्वाइंट पर - 30 कि.मी. प्रति घंटा

   टिप्पणी-1. विशेष अनुमोदित अनुदेशों के अधीन नान-इंटरलॉकिंग कार्य 30 कि.मी. प्रति घंटे की गति से करने की स्थिति में आवश्यक संरक्षा निर्देशों को नान-इंटरलॉकिंग से संबंधित अस्थायी कार्य संचालन निर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समुचित सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए ।

   (ii) इंटरलॉक्ड प्वाइंट पर, जब गाड़ी 12 में 1 टर्नआउट से या सिमेट्रीकल स्प्लिट और कर्व स्विचों में 8½ में 1 के टर्नआउट से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाए। - 30 कि.मी. प्रति घंटा

   (ग) जो गाड़ियां 12 में 1 या 8½ में 1 टर्नआउट जो कर्व/सिमेट्रीकल स्प्लिट स्विचों से युक्त लूप लाइन से बिना रुके गुजर रही हो, तो-

   स्टेशनों की लूप लाइन से होकर बिना रुके सीधे गुजरते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी की गति को 30 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं रखेगा।

4. नया स. नि. 3.08/2 निम्नानुसार जोड़ा जाता है- (संशोधन पर्ची सं.- 63)

   स. नि. 3.08/2 - विशेष अनुदेश - सिगनल की दो पीली (डबल येलो) लाइटें "सावधान" स्थिति को दर्शाती हैं और यह संकेत देती है कि "आगे बढो तथा अगले सिगनल को प्रतिबंधित गति से पार करने के लिए तैयार रहो"। प्रतिबंधित गति यह इंगित करती है कि स्थानीय परिस्थिति, गाड़ी के ब्रेक पावर आदि को ध्यान में रखते हुए गाड़ी की वह गति जो कि लोको पायलट/मोटरमैन के पूर्ण नियंत्रण में है, ताकि वह अगले सिगनल के आस्पेक्ट का पालन कर सके, वह गति जो कि लोको पायलट/मोटरमैन द्वारा स्वयं निर्णीत एवं समायोजित की जाय।

सं.-याता/सामा./संशोधन पर्ची /22/20
दिनांक : 10.06.2021

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक